10 Rs COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C.C. 45 ... 113

कार्यालय ... दिनांक 10 OCT 1994 ... 10/10/94

1. श्रीमती रामवती विधवा पत्नी विशाली सिंगरहा,
2. सुमित्री पुत्री विशाली,
3. सावित्री पुत्री विशाली,
4. ललिता पुत्री विशाली.
5. ममता पुत्री विशाली,
6. कमला पुत्री विशाली

} सभी नाबालिग जरिये वली मां रामवती

7. दुर्गा तनय खुरमुट उर्फ मंगल उम्र 35 वर्ष पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम महसांव तहसील गुढ़ जिला रीवा

---- आवेदकगण

R-L-1766 17-10-94

§म0प्र0§

बनाम

1. मंगलेश्वर सिंह तनय तेजभान सिंह, ~~निवासी ग्राम ...~~
2. गामा तनय विशाल,
3. बड़कीवा साकिन चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी,
4. छोटकीवा पत्नी भैयालाल साकिन मुर्तला तहसील गोपदबनास जिला सीधी §म0प्र0§

---- अनावेदकगण

RN/104/R/1052/94 17-10-94

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 जरिये प्रकरण क्र0 431/अ-6/अपील/91-92 आदेश दिनांक 22/7/94.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-

1- यह कि निर्णय न्यायालय मातहत विधि-प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण है।

2- यह कि आराजी खसरा नम्बर 718 रकबा 5.51 एकड़ 2627/1 रकबा 3.62 एकड़ 2627/2 सा. 2627/18 कुल रकबा 9.70 एकड़ स्थित ग्राम महसांव मंगल व बन्टा की पैतृक सम्पत्ति थी बन्टा की नि:सन्तान मृत्यु हो गई थी। जिससे उक्त विवादित भूमियों पर

क्रमशः 2...

नि0अ0 रामवती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1052/1994 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदिका के अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 431/अ–6/अपील/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 22.07.1994 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक मंगलेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 13.01.1969 को तहसील हुजूर में इस आशय का आवेदन–पत्र दिया था कि ग्राम महसांव में विवादित भूमि का भूमिस्वामी बन्टा दर्ज है, जो फौत है । उसकी पुत्री मु0 चिड्डी व मु0 चिड्डी का पुत्र गामा ने उक्त भूमियां रुपये 1000/–में दिनांक 07.01.1969 को बिक्री करके कब्जा दखल दे दिया है। अतः विवादित भूमियों का दाखिल खारिज मेरे नाम किया जावे। न्यायालय सहायक अधीक्षक रीवा ने अपने प्रकरण 58/2010–11 एवं 149/2010–11 में दिनांक 20.05.14 को अनावेदक मंगलेश्वर सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर विशाल व दुर्गा ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश 20.05.74 को यथावत रखते हुये अपील दिनांक 30.04.92 को निरस्त कर दी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश	

P.T.O.

दिनांक 30.04.92 से दुखी होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश पारित कर दिनांक 22.07.94 को अपील खारिज कर दी गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, महसांव स्थित विवादित भूमि मंगल व बन्टा की पैत्रिक सम्पत्ति थी। बन्टा की कोई सन्तान नहीं थी । वह निसन्तान फौत हो गया था । जिससे मंगल का पुत्र विशाल बतौर उत्तराधिकारी मालिक काबिज अपने जीवन काल तक रहा । वर्तमान में आवेदकगण काबिज है । मुस0 चिड्डी, बन्टा की पुत्री नहीं थी बल्कि अन्य शिवचरण की पुत्री थी, किन्तु न्यायालयों द्वारा उक्त बात की जांच किये बिना साक्ष्य का विधिवत परीक्षण किये बिना आदेश पारित करने में विधिक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालयों का विधिवत साक्ष्य ली जाकर तथा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना की जाकर प्रकरण का निराकरणउ किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। यह निगरानी अन्दर म्याद है । उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे

4/ अनावेदक सूचना उपरांत भी अनुपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण करने तथा अभिलेखों

R 1052/94 रीवा

का अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22.07.94 विधि अनुकूल है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष साक्ष्य एवं अभिलेखों की सम्यक समीक्षा उपरांत प्रतिपादित किये गये है ।

अतएव आदेश विधि सम्मत पाये जाने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O.